पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.02.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री ज्ञानचन्द मांझी, स०वि०स० श्री कन्हैया कुमार, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री श्यामदेव पासवान, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स०	"सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर एवं तरैया प्रखंडों के बीच अवस्थित डाबरा नदी के प्राथमिक विद्यालय फेनहरा गदी टोला छपिया के घाट पर पूल नहीं रहने के कारण फेनहरा, परसा, केरवा, गुणराजपुर एवं जैथर तथा गंडार, मुरलीपुर, तरैया आदि गाँव के लोगों को नदी पार करने में काफी कठिनाई होती है । बरसात में किसान एवं छात्र-छात्राओं को जान-माल का खतरा बना रहता है । अत: उक्त घाट पर पूल निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण कार्य

1	2	3	4
2.	श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रामायण मांझी, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० डा० इजहार अहमद, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनन्दन पासवान, स०वि०स० श्री मोती लाल प्रसाद, स०वि०स० श्री अजय प्रताप, स०वि०स०	"बिहार के 10 लाख गन्ना किसानों के द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक बी०ओ०-147 प्रभेदों की गन्ना का उत्पादन किया गया है । बी०ओ०-147 प्रभेद उत्तम कोटि के प्रभेद है, जिसकी कीमत सरकार द्वारा 265 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी । वर्त्तमान में बिहार के सभी चीनी मिलों द्वारा 147 गन्ना के प्रभेदों को अनुपयुक्त प्रभेद घोषित कर 20 रू० प्रति क्विंटल कम मूल्य अन्य गन्ना प्रभेदों की तुलना में किसानों को दी जा रही है, जिससे बिहार के 5 लाख किसानों को 100 करोड़ रू० का घाटा हुआ है । बिहार ईख आपूर्त्ति एवं खरीद विनियम 1981 की धारा 36 में यह प्रावधान है कि कारखानों के उपयोग में लाये जाने वाले ईख के किस्मों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित करने के बाद ही अनुपयुक्त मानी जाएगी । साथ ही वित्तीय वर्ष 2011-12 में गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा बिहार के चीनी मिलों के द्वारा गलत वजन की शिकायत को दूर करने के लिये चीनी मिल गेट पर विभागीय तौल सेतु स्थापना हेतु निर्णय ली गई थी, जो अबतक स्थापित नहीं की गई । अत: हम गन्ना किसानों को उचित मूल्य देने एवं विभागीय तौल सेतु की स्थापना हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।"	गन्ना उद्योग

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-1/13- 130 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग तथा गन्ना उद्योग विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/02/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-1/13- 130 / वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

18/02/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

18/2/13